Answer key

उत्तर1. (क) अरस्तु

Ans.1. (a) Aristotle

उत्तर2. (ख) रूसो

Ans.2. (b) Russo

उत्तर3. (क) 1948

Ans.3. (a) In 1948

उत्तर4. (ग) हिंसा

Ans.4. (c) Violence

उत्तर 5. (क) 1956

Ans. (a) in 1956

उत्तर 6. (ग) 9 दिसंबर,1946

Ans.6. (C) 9 December, 1946

उत्तर 7. (ग) अनुच्छेद 12 से 35

Ans.7. (C) Article 12 to 35

उत्तर 8. (ख) राज्यो का संघ

Ans.8. (B) Union of states

उत्तर 9.(B) राष्ट्रपति

Ans.9 (B) President

उत्तर 10.(ख) प्रत्यक्ष रूप से गांव के मतदाताओ द्वारा

Ans.10. (B) Directly by the voters of the village

उत्तर 11. (क) क़ानूनी अधिकार

Ans.11. Legal right

उत्तर 12. (a) 61वा संशोधन

Ans.12. (a) 61th Amendment

उत्तर 13. नोटा

Ans. 13.Nota

उत्तर 14. अनुच्छेद 368

Ans. Article 368

उत्तर 15:- 11

Ans. 15. Eleven

उत्तर 16. जॉन रोल्स

Ans. John Rolls

उत्तर 17. मार्शल द्वारा

Ans. By Marshal

उत्तर 18. श्री जगदीप धनखड़

Ans. Sh. Jagdeep Dhankhar

उत्तर 19. (c) अभिकथन (A) सत्य है, लेकिन कारण (R) असत्य है।

Ans.19 **(c)** Assertion (A) is true but Reason (R) is false.

उत्तर 20. (b)दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कारण, अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं है।

Ans. **(b)** Both the statements are true, but Reason is not the correct explanation of Assertion (A).

उत्तर 21.

1. परमप्रवादी विचारक राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं।

2. परमप्रवादी विचारक आदर्शवादी हैं। क्या आपने देखा है कि क्या होना चाहिए? उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या है? अर्थार्थ वह राजनीति मूलो, नैतिक व सात्विक विचारो पर अधिक बल देते हैं। इसमे कल्पना अधिक है|

Ans. 21. 1. The absolutist thinkers consider political science as a science.

2. The absolutist thinkers are idealists. Have you seen what should be? They are not concerned with what is? Meaning they lay more emphasis on political principles, moral and virtuous thoughts. There is more imagination in this.

उत्तर 22. नागरिक असमानता को कानूनी असमानता भी कहा जाता है। इसमें नागरिकों को अधिकार समान रूप से प्राप्त नहीं होते। इसमें सभी लोगों को जीवन, स्वतंत्रता, परिवार और धर्म आदि से संबंधित अधिकार असुरक्षित होते हैं। अधिकार प्रदान करते समय नागरिकों में रंग, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

Ans. Civil inequality is also called legal inequality. In this, citizens do not get rights equally. In this, the rights related to life, freedom, family and religion etc. of all people are insecure. While granting rights, citizens are discriminated against on the basis of colour, caste, religion or.

उत्तर 23. उत्तर-कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सब पर एक से कानून लागू हों और कानून की दृष्टि में सब समान हों, कोई छोटा-बड़ा न हो, जाति, वंश, रंग व लिंग आदि के आधार पर कानून भेदभाव न करता हो अर्थात बड़े-से-बड़ा अधिकारी व छोटे-से-छोटे कर्मचारी कानून के सामने समान है। देश में सभी के लिए एक-सा कानून लागू होता है।

Ans. The meaning of uniformity of law is that same law should be applicable on everyone and everyone should be equal in its eyes, no one should be big or small, there should be no discrimination in the law on the basis of caste, lineage, colour and sex etc. That is, the biggest officer and the smallest employee are equal before the law. The same law applies to everyone in the country.

उत्तर 24. 1. नागरिक को अपने राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

2. सरकार द्वार बनवाए गए कानून का पालन करना चाहिए।

1. A citizen must be loyal to his state.

2. He must obey the laws made by the government.

अथवा(or)

अधिकार या कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं, इसलिए अधिकार या कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पक्ष बताए गए हैं। वाइल्ड कहते हैं, "केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का कोई मूल्य है।" कर्तव्य के बिना कोई भी अधिकार व्यवहारिक रूप लागू नहीं हो सकता।

Rights and duties go hand in hand, so rights and duties are said to be two sides of the same coin. Wilde says, "Only in the world of duties do rights have any value." Without duty, no right can be practically implemented.Rights and duties go hand in hand, hence rights and duties are said to be two sides of the same coin.

उत्तर 25.

जातिवाद (Caste):

जातिवाद एक बड़ी बाधा है जो भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करती है। जाति के आधार पर भेदभाव और सामाजिक असमानता राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती है.

साम्प्रदायिकता (Communalism):

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन साम्प्रदायिकता लोगों को उनके धर्म के आधार पर विभाजित करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है.

Ans.

Casteism:

Casteism is a major obstacle that weakens nationalism in India. Discrimination and social inequality on the basis of caste is a serious challenge to national unity.

Communalism:

India is a secular country, but communalism divides people on the basis of their religion, which harms national unity.

उत्तर 26. :-

संविधान उन्न मोलिक नियमो, सिद्धांतो तथा परमपराओं का संघर्ष होता है, जिनके अनुरूप राज्य की सरकार का गठबंधन, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा नागरिको या सरकार के बीच संबंधो को निश्चित किया जाता है।

Ans. 26. Constitution is a set of fundamental rules, principles and traditions by which the form of government of a state, the functions of government, the rights of citizens and the relations between citizens and government are determined.

अथवा(or)

पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सीता रामैया, गोविंद वल्लभ पंत, डॉ. अम्बेडकर, एन.वी. आयंगर, केएम मुंशी, अय्यर और सत्यनारायण सिन्हा सहित कुल 11 सदसयो को संविधान सभा के आंतरिक वर्ग में शामिल किया जाता था।

A total of 11 members including Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Dr. Abdul Kalam Azad, Dr. Rajendra Prasad, Sita Ramaiya, Govind Vallabh Pant, Dr. Ambedkar, N.V. Iyengar, KM Munshi, Iyer and Satyanarayan Sinha were included in the inner circle of the Constituent Assembly.

उत्तर 27. वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग देश की वित्तीय व्यवस्था का परीक्षण करता है और केंद्र और राज्य के बीच वित्त संबंधो के बारे में भी सिफरिशे करता है।

Ans. The Finance Commission is appointed by the President under Article 280. The Finance Commission examines the financial system of the country and also makes recommendations regarding financial relations between the center and the state.

अथवा(or)

सरकारिया आयोग की दो मुख्य सिफारिशें थीं- 1. केंद्र को राज्यों में केंद्रीय पुलिस बल नियुक्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 2. अंतर्राज्यीय पुलिस बल की स्थापना की जानी चाहिए।

The Sarkariya Commission had two main recommendations- 1. The Centre should be given the power to appoint central police forces in the states.

2. An inter-state police force should be established.

उत्तर 28. 1. इस संविधान संशोधन के अनुसर तीन सत्रीय नगर संस्थानों को पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

2. छोटे नगरों के लिए नगर परिषद और बड़े नगरों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई।

Ans. 1. According to this constitutional amendment, three sessional city institutions were given constitutional recognition for the first time.

2. Municipal councils were established for small cities and municipal corporations for big cities.

उत्तर 29.1 स्वशासन की क्षमता है,

2. शासन करने, कानून बनाने

3. राष्ट्र राज्य की भलाई के लिए कानून बनाने की क्षमता है,

4. चाहे किसी बाहरी राज्य या संगठन के हितों की परवाह किए बिना।

Ans. 29.

1. The capacity to self-govern,

2. To govern, to make laws

3. The capacity to make laws for the good of the nation state

4. Regardless of the interests of any outside state or organisation.

अथवा (or)

स्वतंत्रता की दो संरक्षण **इस प्रकार हैं-**

1. **लोकतंत्र की व्यवस्था-** केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही लोगों को लंबे समय तक या अधिकतम मात्रा में स्वतंत्रता और अधिकार मिल सकते हैं। स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक आधार है या परिवर्तन लोगों का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्रता को आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं।
2. **मौलिक अधिकारों की घोषणा-** अधिकारों के हनन की संभावना राज्य की ओर से अधिक होती है। मौलिक अधिकार संविधान में लिखे होते हैं। इस कारण राज्य या किसी व्यक्ति द्वारा अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अधिकारों की घोषणा स्वतंत्रता की रक्षा करती है।

The two protections of freedom are as follows-

1**. Democratic system**- Only in a democratic system can people get freedom and rights for a long time or in maximum amount. Freedom is a foundation of democracy or change cannot easily destroy the freedom to be a part of the people.

2. Declaration of Fundamental Rights- The possibility of violation of rights is more from the side of the state. Fundamental rights are written in the constitution. Due to this, rights cannot be violated by the state or any person. Declaration of rights protects freedom.

उत्तर 30.

न्याय के आधारभूत तत्व हैं निष्पक्षता, समानता, और समानता के सिद्धांत के अनुसार सभी के समान अधिकार। न्याय एक नैतिक और सामाजिक अवधारणा है जो कानून के तहत लोगों के साथ उचित व्यवहार करने से संबंधित है।

1. निष्पक्षता: न्याय में सभी के साथ समान व्यवहार करना और किसी को भी पक्षपात या भेदभाव का शिकार न होना शामिल है।

2. समानता: न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों।

3. समान अधिकार: न्याय का सिद्धांत सभी को बुनियादी स्वतंत्रताओं का समान अधिकार होना चाहिए।

4. कानून का शासन: न्याय में यह भी शामिल है कि कानून सभी के लिए लागू हो और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए।

Ans. 30

The fundamental elements of justice are fairness, equality, and equal rights for all according to the principle of equity. Justice is a moral and social concept that deals with the fair treatment of people under the law.

1. Fairness: Justice involves treating everyone equally and no one being a victim of bias or discrimination.

2. Equality: Justice means that all people have equal opportunities and rights.

3. Equal rights: The principle of justice is that everyone should have equal rights to basic freedoms.

4. Rule of Law: Justice also includes that the law should be applicable to all and no one should be considered above the law.

उत्तर 31.

1. **राज्य और राष्ट्र के तत्व अलग-अलग हैं:**

राज्य के चार तत्व हैं- जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। इनमें से किसी एक तत्व के अभाव में राज्य वास्तव में राज्य नहीं हो सकता। राज्य की विशेषता हमेशा इन चारों तत्वों से होती है। इसके विपरीत, राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जिसमें एकता और सामान्य चेतना की प्रबल भावना होती है।

2. संप्रभुता राज्य के लिए आवश्यक है, राष्ट्र के लिए नहीं
3. राज्य अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पुलिस शक्ति (बल) का उपयोग करता है, राष्ट्र मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों से बंधा है:

Ans. 31. 1. The elements of state and nation are different:

There are four elements of a state- population, territory, government and sovereignty. In the absence of any one of these elements, a state cannot really be a state. A state is always characterized by these four elements. In contrast, a nation is a group of people with a strong sense of unity and common consciousness.

2..Sovereignty is essential for a state, not a nation

3. 3. The state uses police power (force) to maintain its unity and integrity, the nation is bound by strong cultural and historical ties:

उत्तर 32. हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, और सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या न मानने, और किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। 1.भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी मानता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है।

2.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें धर्म के पालन, प्रचार, और प्रचार करने का अधिकार शामिल है।

Ans.32. Yes, India is a secular state. This means that the state has no official religion, and all citizens have complete freedom to believe or not believe in any religion, and to practice any religion.

1.The Indian Constitution also follows the principle of secularism.

Secularism has been included as a major principle in the Preamble of the Indian Constitution.

2. Article 25 of the Indian Constitution guarantees all citizens the right to freedom of religion, which includes the right to practice, propagate and profess religion.

अथवा (or)

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की चार विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है:

2. धार्मिक स्वतंत्रता:

राज्य सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने, पूजा करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है.

3. सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार:

धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर तरजीह नहीं देता है.

4. धार्मिक शिक्षा:

धार्मिक शिक्षा के मामले में, धर्मनिरपेक्ष राज्य उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाता है जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करते हैं.

The four characteristics of a secular state are as follows:

1. **The state has no official religion:**
2. **2. Religious Freedom:**

   The state provides freedom to all citizens to practice, worship and propagate their religious beliefs.

3. **Equal treatment to all religions:**

The secular state gives equal respect to all religions and does not give preference to any religion over the other.

4. Religious Education:

In the case of religious education, the secular state does not prohibit religious education in institutions which do not receive government aid.

उत्तर 33.

मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और संविधान द्वारा गारंटीकृत होते हैं। भारतीय संविधान के भाग III में, अनुच्छेद 12 से 35 तक, छह मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।

ये मौलिक अधिकार हैं:

समानता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Ans.33. Fundamental rights are the basic rights that every citizen has by birth and are guaranteed by the Constitution. In Part III of the Indian Constitution, from Articles 12 to 35, six fundamental rights are described.

These fundamental rights are:

- Right to equality
- Right to freedom
- Right against exploitation
- Right to religious freedom
- Cultural and educational rights
- Right to constitutional remedies

उत्तर 34.

विधानपालिका, जिसे विधानमंडल भी कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकारों में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके मुख्य कार्य हैं: कानून बनाना, नीति निर्धारण करना, और सरकार पर निगरानी रखना।

1. कानून बनाना:

विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। यह विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाता है, जैसे कि विधेयक पेश करना, चर्चा करना, और पारित करना.

2. नीति निर्धारण:

विधानमंडल सरकार की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नीतियों पर चर्चा करता है, सुझाव देता है, और उन्हें अंतिम रूप देता है.

3. सरकार पर निगरानी:

विधानमंडल सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। यह सरकार के कामकाज को जांचता है, प्रश्न पूछता है, और सरकार को जवाबदेह बनाता है.

Ans.34. The legislature, also known as the Legislature, is an important organ in democratic governments. Its main functions are: making laws, setting policy, and monitoring the government.

1. Lawmaking:

The most important function of the legislature is lawmaking. It makes laws through various legislative processes, such as introducing, discussing, and passing a bill.

2. Policy making:

The legislature plays an important role in determining the policies of the government. It discusses, suggests, and finalises policies.

3. Monitoring the Government:

The legislature monitors the activities of the government. It scrutinises the performance of the government, asks questions, and holds the government accountable.

अथवा (or)

लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य कार्य:-

1.सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना:

2. कोरम लागू करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई

3लोकसभा अध्यक्ष सदन की समितियों और उसे सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षक होता है।

4.वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं।

उत्तर 35.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता:

- ❖ न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्य व्यक्तियों से की जाए,
- ❖ उनका कार्यकाल सुरक्षित हो,
- ❖ उन्हें किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रखा जाए,
- ❖ उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

Ans.35.

Independence of Judiciary:

- ❖ Judges should be staffed with competent people,
- ❖ Their contracts should be secure,
- ❖ They should be kept free from any external pressure,
- ❖ Their financial independence should be ensured.

उत्तर 36. . **भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं:-**

- यह भारत के संविधान के शासन के प्रकार को परिभाषित करता है।
- प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख है, जो भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं।
- प्रस्तावना का लक्ष्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है।
- प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, जैसे कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना।

Ans. 36.Main features of the Preamble of the Indian Constitution:-

• It defines the type of governance of the Constitution of India.

• The preamble mentions words like justice, liberty, equality and fraternity, which reflect the basic principles of the Constitution of India.

• The aim of the preamble is to maintain the unity and integrity of the country.

• The Preamble states the objectives of the Constitution of India, such as ensuring justice, liberty, equality for all citizens.

उत्तर 37. अधिकार व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वे उसे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने, अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का उपयोग करने, और समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देते हैं। वे व्यक्ति को राज्य के द्वारा मनमाने ढंग से भेदभाव और अत्याचार से भी बचाते हैं।

यहां कुछ कारण दिए गए हैं कि अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक हैं:

- **स्वतंत्रता और स्वायत्तता:**

  अधिकार व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने और अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

- **समानता और निष्पक्षता:**

  अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हों और उन्हें किसी भी रूप में भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए।

- **सुरक्षा:**

  अधिकार व्यक्ति को राज्य के द्वारा मनमाने ढंग से भेदभाव और अत्याचार से बचाते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- **विकास:**

  अधिकार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं।

- **गरिमा:**

  अधिकार व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने की अनुमति देते हैं।

  Ans. 37. Rights are vital for an individual. They allow him to live with respect and dignity, exercise his freedom and autonomy, and participate actively in society. They also protect the individual from arbitrary discrimination and oppression by the state.

  Here are some reasons why rights are important for an individual:

  • Freedom and Autonomy:

  Rights provide an individual with the freedom to live his life the way he wants and make his own decisions.

  • Equality and fairness:

  Rights ensure that all individuals have equal opportunities and should not be subjected to any form of discrimination.

  • Protection:

  Rights protect and grant protection to the individual from arbitrary discrimination and oppression by the state.

  • Development:

  Rights help a person to develop his or her personality and abilities.

  • Dignity:

  Rights allow a person to live life with respect and dignity.

अथवा (or)

- **अधिकार (Rights):**

  अधिकार वे दावे हैं जो किसी व्यक्ति को समाज द्वारा दिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य करने या न करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

- **कर्तव्य (Duties):**

कर्तव्य वे जिम्मेदारियाँ हैं जो व्यक्ति को समाज के प्रति या अन्य व्यक्तियों के प्रति उठानी होती हैं। ये कर्तव्य व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करते हैं।

- **संबंध:**

अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यदि कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो वह अपने अधिकारों का आनंद नहीं ले सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वह ऐसा करते समय दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे।

• Rights:

Rights are claims that are given to a person by society. These rights provide a person with the freedom to do or not to do certain actions

• Duties:

Duties are responsibilities that a person has to bear towards the society or towards other individuals. These duties oblige a person to do or not to do certain tasks.

• Relation:

Rights and duties complement each other. Rights are obtained only when a person performs his duties. If someone does not perform his duties, he cannot enjoy his rights. For example, one has a right to speak, but one has a duty to respect the rights of others when doing so.

उत्तर 38. एक आदर्श नागरिक में 5 मुख्य गुण होने चाहिए: कानून का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, देश के प्रति निष्ठावान रहना, और मतदान करना.

यहां इन गुणों का विस्तार से वर्णन दिया गया है:

1. **कानून का पालन करना**:

एक आदर्श नागरिक को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए.

2. **दूसरों का सम्मान करना**:

एक आदर्श नागरिक को सभी के साथ सम्मान और सहिष्णुता से पेश आना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो.

3. **सामाजिक कार्यों में भाग लेना**:

एक आदर्श नागरिक को सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और अपने समुदाय की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए, जैसे कि सफाई अभियान, शिक्षा कार्यक्रम, आदि.

4. **देश के प्रति निष्ठावान रहना**:

एक आदर्श नागरिक को अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहना चाहिए.

Ans.38. An ideal citizen should have 5 main qualities: follow the law, respect others, participate in social work, be loyal to the country, and vote.

Here are the detailed description of these qualities:

1. Law abiding:

An ideal citizen should follow the laws of the country and should not violate any rules.

2. Respecting others:

An ideal citizen should treat everyone with respect and tolerance, regardless of their caste, religion or gender.

3. Participate in social work:

An ideal citizen should participate in social work and work for the betterment of his community, such as cleanliness drives, education programs, etc.

4. Being loyal to the country:

An ideal citizen should be loyal to his country and should be ready to sacrifice his life to protect the country.

अथवा(or)

आदर्श नागरिक बनने में प्रमुख बाधाएं ये हैं:

1. नागरिक शिक्षा की कमी:

नागरिक शिक्षा, नागरिकता के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव आदर्श नागरिक बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है।

2. भ्रष्टाचार और उदासीनता:

भ्रष्टाचार और नागरिकों की उदासीनता भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा डालते हैं, क्योंकि वे लोगों को कानून का पालन करने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने से रोकते हैं.

3. गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय:

गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय जैसे कारक लोगों को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने और आदर्श नागरिक बनने की अपनी क्षमता को विकसित करने से रोक सकते हैं.

4. उग्र राष्ट्रीयता:

उग्र राष्ट्रीयता, जो किसी एक राष्ट्र के प्रति अत्यधिक प्रेम और अन्य देशों से घृणा पर आधारित होती है, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा डालती है, क्योंकि यह समाज में विभाजन और असंतोष पैदा करती है.

The major obstacles in becoming an ideal citizen are:

1. Lack of civic education:

Lack of information about civic education, duties and rights of citizenship hinders the process of becoming an ideal citizen.

2. Corruption and Apathy: Corruption and apathy of citizens also hinder the path of ideal citizenship, as they prevent people from obeying the law and fulfilling social responsibility.

3. Poverty, inequality and social injustice:

Factors such as poverty, inequality and social injustice can prevent people from developing their potential to participate actively in society and become ideal citizens.

4. Extreme Nationalism:

Extreme nationalism, which is based on excessive love for one nation and hatred for other nations, is an obstacle in the path of ideal citizenship as it creates division and discontent in the society.

उत्तर 39. **भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार बताई जा सकती हैं:-**

- एक मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली
- एक मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग
- जन -भागीदारी
- कई दिनों तक चलने वाली एक व्यापक चुनाव प्रक्रिया
- अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार की चुनाव प्रणाली का मिश्रण
- आरक्षण के रूप में प्रतिनिधित्व
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार
- सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार

Ans.39. The main features of the Indian election system can be described as follows:-

- • A free and fair election system
- • A free and impartial Election Commission
- • Public participation
- • An extensive election process lasting several days
- • Mixture of both indirect and direct election system
- • Representation in the form of reservation
- • Universal adult franchise

- • Right to contest elections for all

अथवा(or)

भारतीय चुनाव प्रणाली में कई दोष हैं जो इसकी प्रभावशीलता और निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। इनमें से प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं:

-अल्पमत का प्रतिनिधित्व: भारतीय चुनाव प्रणाली में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जहां जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, उसे विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है, जिससे अल्पमत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

- चुनाव में धन का प्रभाव: चुनाव में धन का दुरुपयोग एक बड़ा दोष है। धनवान उम्मीदवार अधिक प्रचार और विज्ञापन कर सकते हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। इससे योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को नुकसान होता है।

- गुण्डागर्दी और बूथ कैप्चरिंग: चुनाव के दौरान गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं आम हैं। इससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता।

- सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता का दुरुपयोग: सत्तारूढ़ दल अक्सर अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग करके चुनाव में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। इससे विपक्षी दलों को समान अवसर नहीं मिलता।

There are many flaws in the Indian election system which affect its effectiveness and fairness. The major flaws are as follows:

Minority Representation: The Indian electoral system has single-member constituencies, where the candidate who gets the most votes is declared the winner. But it is often seen that the winning candidate gets only a small portion of the total votes, due to which minority representatives are elected.

- Influence of money in elections: Misuse of money in elections is a big flaw. Wealthy candidates can do more campaigning and advertising, which increases their chances of winning. This harms qualified and honest candidates.

- Hooliganism and booth capturing: Incidents like hooliganism and booth capturing are common during elections. This affects the voting process and fair elections cannot be held.

Misuse of power by the ruling party: Ruling parties often gain unfair advantage in elections by using their influence and resources. This does not give a level playing field to opposition parties

उत्तर 40. भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके कार्य निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिकाएं:

- **कार्यपालक प्राधिकारी**: प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद पर कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है।

- **नीति निर्माण एवं दिशा :** प्रधानमंत्री सरकार की नीति दिशा निर्धारित करते हैं और राष्ट्र के लिए दृष्टि और दिशा प्रदान करते हैं।

- **संकट प्रबंधन और निर्णय लेना :** प्रधानमंत्री संकटों के प्रबंधन और आपात स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **सलाहकार भूमिका :** पीएमओ नीतिगत मुद्दों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह और सिफारिशें प्रदान करता है।

- **समन्वय :** पीएमओ विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के बीच एक समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है।

- **विदेशी कार्य :** पीएमओ भारत की विदेश नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Ans.40.

The role of the Prime Minister of India is very important, and his functions are as follows:

Main roles of Prime Minister:

- **Executive authority** : The Prime Minister is the head of the central government and exercises executive authority over the Council of Ministers.

- **Policy Formulation and Direction** : The Prime Minister sets the policy direction of the government and provides vision and direction for the nation.

- **Crisis Management and Decision Making** : The Prime Minister plays a key role in managing crises and taking important decisions in emergencies.

- **Foreign work**

: The PMO plays a key role in formulating and implementing India's foreign policy.

Advisory role : The PMO provides advice and recommendations to the Prime Minister on policy issues, domestic and international affairs.

- **Coordination :** The PMO acts as a coordinating body between various government ministries and departments.

अथवा(or)

भारत में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति नाममात्र की होती है। राष्ट्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, लेकिन वह कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा उपयोग की जाती हैं।

विस्तार से:

- **संवैधानिक प्रमुख:**

  राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन शासन नहीं करता।

- **कार्यपालिका:**

  राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन वह इसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से उपयोग करता है।

- **नाममात्र की शक्ति:**

राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियाँ नाममात्र की होती हैं, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा वास्तव में उपयोग की जाती हैं।

- **राजनीतिक प्रमुख:**

  हालांकि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से राज्य का प्रमुख है, लेकिन वह राजनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।

The actual position of the President in India is nominal. The President is considered the constitutional head of the state, but he is not the head of the executive. The powers of the President are exercised by the Prime Minister and the Council of Ministers.

In detail:

• Constitutional Head:

The President is the constitutional head of India, who represents the nation but does not rule.

• Executive:

The President has the executive power of the Union but exercises it with the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers.

Nominal Power:

Most of the President's powers are nominal and are actually exercised by the Prime Minister and the Council of Ministers.

Political head:

Although the President is formally the head of state, he is not as politically important as the Prime Minister and the Council of Ministers.